**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर**
**पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.**

**1. अपील संख्या 227/17** **निर्णय दिनांकः—07.08.2018**

1. उदाराम पुत्र फूसाराम जाति जाट निवासी चक 4 डीओ 'बी' तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

**—बनाम—**

1. महेन्द्र पुत्र जगदीश जाति कुम्हार निवासी चक 4 डीओ 'बी' तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार छत्तरगढ़।

रेस्पोडेन्ट्स

**2. अपील संख्या 43/18**

1. इन्द्राज पुत्र रजीराम जाति जाट निवासी चक 4 डीओ 'बी' तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

**—बनाम—**

1. महेन्द्र पुत्र जगदीश जाति कुम्हार निवासी चक 4 डीओ 'बी' तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार छत्तरगढ़।

रेस्पोडेन्ट्स

**अपील विरूद्व आदेश दिनांक 13—04—2017**
**उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़**

**उपस्थितिः—**

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट(अपील संख्या 227/18)
2. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट(अपील संख्या 43/18)
3. श्री जयचन्द लाल सारस्वत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
4. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

## —निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 13—04—2017 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विशेष आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन(इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. दोनों अपीलों में निस्तारण हेतु वैधानिक बिन्दु समान होने के कारण दोनों अपीलों को एक ही कॉमन निर्णिय से निर्णित किया जा रहा है। निर्णय की एक—एक प्रति दोनों पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने कॉमन बहस करते हुए बताया कि वादगत् भूमि चक 4 डीओ(बी) के मुरब्बा नम्बर 206/64 के किला नम्बर 3 में 8 बिस्वा, किला नम्बर 8 में 19 बिस्वा, किला नम्बर 9 में 4 बिस्वा, किला नम्बर 10 में 15 बिस्वा, किला नम्बर 11 में 2 बिस्वा, किला नम्बर 12 में 17 बिस्वा, किला नम्बर 13 व 14 में 2 बीघा, किला नम्बर 17 से 19 में 3 बीघा, किला नम्बर 20 में 15 बिस्वा, किला नम्बर 21 से 25 में 5 बीघा इस प्रकार कुल 14 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के आवंटन हेतु वर्ष 2007 में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रखा था। जिस पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स की प्रथम वरियता कायम होने के बावजूद वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट्स को किसी प्रकार का कोई नोटिस सूचना अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है जबकि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र भी अदालत मातहत के समक्ष जैरकार था।

अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराधात किया गया है। विशेष आवंटन नियमों के जिसकी वरियता प्रथम बनती है उसे ही नियमानुसार आवंटन किया जाना चाहिए। चूंकि वादगत् के आवंटन हेतु अपीलांट्स की प्रथम वरियता बनती है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के आवंटन का प्रथम अधिकार अपीलांट्स का बनता है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन विशेष आवंटन नियमों के विपरीत होन से प्रारम्भ से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन की वरियता कायम करने से पूर्व अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट्स को विधिवत नोटिस जारी किये जाने के उपरान्त व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत तरीके से आवंटन किया जाना चाहिए था।

अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को बिना किसी प्रकार का नोटिस दिये आदेश जैर अपील एकतरफा पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरूद्व जाकर जैर अपील आदेश परित किया गया है जो काबिल निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट्स को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया विशेष आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने के फलस्वरूप सभी संबंधित पात्र काश्तकारों की वरियता बनाई गई। अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि उक्त रकबे पर आवेदक महेन्द्र, इन्द्राज, उदाराम व लिछमा के आवेदन है। सभी आवेदकों के आवेदन पत्र वर्ष 2007 के है। तुलनात्मक विवरण एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में महेन्द्र अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की प्राथमिकता आवंटन नियम 13(ए) के उपनियम 7 के अनुसार सर्वोच्य श्रेणी की होने से एवं महेन्द्र ने आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज यथा मूल निवासी प्रमाण पत्र, सद्भावी काश्तकार प्रमाण पत्र, भूमि तस्दीक प्रमाण पत्र एवं मतदाता सूची वर्ष 1971, 1984, 1990 व 2014 आदि प्रस्तुत कर सभी औपचारिकता पूर्ण कर ली गई है। अतः महेन्द्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सर्वोच्य प्राथमिकता का आवेदक है। अतः अदालत मातहत द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की राय से वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन पश्चात् निर्धारित तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन सही है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 13—04—2017 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपीलें दिनांक 15—07—2017 व दिनांक 12—01—2018 को पेश की गई है। अपील के

साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। चूंकि वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट को बिना सुनवाई व सूचना व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। ऐसी स्थिति आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर पारित किया जाना साबित है अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर वादगत् भूमि चक 4 डीओ(बी) के मुरब्बा नम्बर 206/64 के किला नम्बर 3 में 8 बिस्वा, किला नम्बर 8 में 19 बिस्वा, किला नम्बर 9 में 4 बिस्वा, किला नम्बर 10 में 15 बिस्वा, किला नम्बर 11 में 2 बिस्वा, किला नम्बर 12 में 17 बिस्वा, किला नम्बर 13 व 14 में 2 बीघा, किला नम्बर 17 से 19 में 3 बीघा, किला नम्बर 20 में 15 बिस्वा, किला नम्बर 21 से 25 में 5 बीघा इस प्रकार कुल 14 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

(3) जहॉ तक प्रकरण में गुणावगुण का प्रश्न है वादगत् भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट्स के साथ–साथ अपीलांट्स के भी प्रार्थना पत्र वर्ष 2007 में प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अन्य आवदकों को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सूनवाई व सबूत का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा स्पष्ट रूप से आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया जाना साबित है।

(4) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील में स्वयं यह अभिलिखित किया गया है कि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु महेन्द्र, इन्द्राज, उदाराम व लिछमा के आवेदन वर्ष 2007 में प्रस्तुत किये गये है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु सभी आवेदकों को विधिवत रूप से नोटिस किया जाने के उपरान्त ही उन्हें सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करने के

उपरान्त विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाता। जैसा की प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा नहीं किया गया है।

(5) विशेष आवंटन नियमों में यह देखा जाना अपरिहार्य होता है कि भूमि जिसके लिए आवेदन किया गया है। जहॉ वादगत् भूमि के आवंटन हेतु एक या एक से अधिक पात्र हो तो वहॉ अदालत मातहत को चाहिए था कि वे वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व सभी सभी आवेदकों को नोटिस जारी करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन जरिये नीलामी किया जाता। अदालत मातहत द्वारा बिना अपीलांट्स को नोटिस जारी किये वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है जो जो राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 13(ए) के विपरीत किया जाना साबित है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला दिनांक 13—07—2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में सभी आवेदकों को नोटिस जारी करते हुए उन्हें सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन एक से अधिक आवेदक होने पर जरिये नीलामी किया जाना सुनिश्चित करावें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 07.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर